न्यायालय : जिला एवं अपरं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, जमुई

एस0टी0 संख्या : 401 / 2025

उपस्थित : **सत्यनारायण शिवहरे**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई।

बिहार राज्य द्वारा सूचक कमली देवी

बनाम

1. सीताराम यादव उर्फ टुकन यादव, उम्र लगभग– 57 वर्ष पिता–महावीर यादव,
निवासी ग्राम–ईटाबांध, थाना–चंद्रदीप, जिला–.जमुई

आरोप भा0द0वि0 की धारा 302 / 34, 120(B), 216 के अंतगर्त

अभियोजन पक्ष की ओर से–**श्री रामाकांत सिंह , विद्वान विशेष लोक अभियोजक**
बचाव पक्ष की ओर से –**श्री अंकित राज विद्वान अधिवक्ता**

दिनांक :–13.03.2026

निर्णय

1. कांड की सूचिका कमली देवी के द्वारा थानाध्यक्ष, सिंकदरा थाना को अपने दिये गये फर्द बयान के आधार पर थाने में प्राथमिकी संख्या 129 / 2009 के रूप में भा0द0वि0 की धारा 216, 302, 120बी सभी सपठित धारा 34 एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए कुल 9 अभियुक्तो के विरूद्ध यह कांड दर्ज हुआ तथा अन्वेषण उपरान्त पुलिस प्रथमतः चार अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र पांच अभियुक्तों के विरूद्ध अनुसंधान लंबित रखते हुये समर्पित किया। इन चार अभियुक्तो का मामला संज्ञानेपरांत सत्र न्यायालय को दौरा सुपुर्द किया गया था तथा बाद में पुलिस ने पूरक आरोप पत्र अभियुक्त वीरेन्द्र यादव एवं सकेन्द्र यादव के विरूद्ध शेष तीन अभियुक्तों मुरारी यादव, मनोज यादव एवं **सीताराम यादव** के विरूद्ध अपर्याप्त साक्ष्य दर्शाते हुये भा0द0वि0 की धारा 216, 302, 120 बी सभी सपठित धारा 34 एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए समर्पित किया। विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने इस पूरक आरोप पत्र के सभी पांचो अभियुक्तो वीरेन्द्र यादव, सोफेन्द्र यादव, पुकारी यादव, मनोज यादव एवं सीताराम यादव के विरूद्ध उपरोक्त अपराध के लिये मामले मे संज्ञान लिया। चूंकि इन पांच में से एक अभियुक्त मनोज यादव का अभिलेख पूर्व में पृथक किया गया। बाकी चार अभियुक्त अभियुक्त वीरेन्द्र

यादव, सोफेन्द्र यादव, पुकारी यादव, सीताराम यादव फरार थे। इन चार अभियुक्त में से अभियुक्त सीताराम यादव उर्फ टुकन यादव को दिनांक 27.08.2025 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। अतः बाकी तीनों फरार अभियुक्तों का अभिलेख गिरफ्तार अभियुक्त सीताराम यादव उर्फ टुकन यादव से पृथक किया गया और विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी ने दिनांक 04.09.2025 को गिरफ्तार अभियुक्त सीताराम यादव उर्फ टुकन यादव का अभिलेख सत्र न्यायालय को दौरा सुपुर्द (Commit) किया। इस प्रकार से इस अभिलेख में मात्र एक अभियुक्त **सीताराम यादव उर्फ टुकन यादव** का विचारण प्रारम्भ हुआ।

2. कांड के सूचिका के द्वारा थानाध्यक्ष, सिंकदरा थाना को अपने दिये गये फर्द बयान के आधार पर, अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि सूचिका के पति मृतक भवानी सिंह को अभियुक्त वीरेन्द्र यादव, राम विलास यादव, फुलेश्वर यादव, सीताराम यादव उर्फ टुक्कन यादव, विजय यादव, सोफेन्द्र यादव, शिव कुमार यादव, मनोज यादव एवं पुकारी यादव सभी मिलकर गोली मार कर हत्या कर दिया।

3. उपरोक्त नामित अभियुक्त मनोज यादवके विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.10.2025 को भा0द0वि0 की धारा 302/34, 120बी एवं 216 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के लिये आरोप का गठन कर आरोप को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे उसने इंकार किया एवं विचारण की माँग की।

4. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए कुल 6 साक्षियों का साक्ष्य करवाया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 1 रामदेव यादव, अभियोजन साक्षी संख्या 2 प्रकाश यादव, अभियोजन साक्षी संख्या 3 कमली देवी (सूचिका), अभियोजन साक्षी संख्या 4 भाषो देवी, अभियोजन साक्षी संख्या 5 राम जी यादव एवं अभियोजन साक्षी संख्या 6 दिनेश यादव है।

5. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत लेखबद्ध अभिकथन (Statement) में अभियुक्तों ने घटना से इंकार किया है एवं स्वयं को निर्दोष होना कहा है।

मंतव्य (Findings)

6. **अभियोजन साक्षी संख्या 3 कमली देवी (सूचिका)** ने अपने साक्ष्य की **मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief)** में कथन किया है कि **यह मुकदमा उसने किया है। भवानी यादव उसके पति है, जिनको मार दिया गया। घटना**

दस वर्ष पुरानी है। उसके पति भवानी यादव घर में सो रहे थे तभी रात्रि में कुछ लोगों के द्वारा गोली मार दी गयी। प्रति परीक्षण (Cross Examination) में साक्षी ने कथन किया है कि उसके पति को अज्ञात लोगों ने मारा है। अन्य अभियुक्त की मुकदमें मे रिहायी हो चुकी है। उसने गोली चलाते किसी को नही देखा था। शंका के आधार पर प्राथमिकी में अभियुक्तो का नाम दिया गया था। अभियुक्त गांव के है, इसलिये पहचानते है।

7. उल्लेखनीय है कि इस मामले में शेष अभियोजन साक्षियों, जो अभियोजन साक्षी संख्या 1, 2, 4, 5 एवं 6 है, ने अपने–अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वो घटना के बारे में कुछ नही जानते है। फलतः ये साक्षी अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही (Hostile) घोषित हुये।

8. इस मामले में अवधारण हेतु प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष इस मामले में उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 302/34, 120बी, 216 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने के आरोप को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

9. मैंने उभयपक्षों की बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि इस मामले में 6 साक्षियों का साक्ष्य हुआ है। **अभियोजन साक्षी संख्या 3 कमली देवी, जो काण्ड की सूचिका एवं मृतक की पत्नी है, ने अभियोजन द्वारा किये गये प्रति परीक्षण में कथन किया है कि उसके पति को अज्ञात लोगों ने मारा है। अन्य अभियुक्त की मुकदमें में रिहायी हो चुकी है। उसने गोली चलाते किसी को नही देखा था। शंका के आधार पर प्राथमिकी में अभियुक्तो का नाम दिया गया था।** अभियोजन साक्षी संख्या 1, 2, 4, 5 एवं 6 है, **ने अपने–अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वो घटना के बारे में कुछ नही जानते है। फलतः ये साक्षी अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही (Hostile) घोषित हुये।** अतः इस साक्ष्यों के आधार पर मैं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता से इस तर्क से पूर्णतः सहमत हूं कि अभियोजन पक्ष उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध इस मामले में लगे आरोप भा0द0वि0 की धारा 302/34, 120बी, 216 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के अभियोग को सभी युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः

आदेश

उपरोक्त तर्क एवं विवेचनाओं तथा अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त सीताराम यादव उर्फ टुकन यादव के विरूद्ध लगे भा0द0वि0 की धारा 302/34, 120बी, 216 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा उसे एवं उसके जमानतदारों को बंध पत्र के दायित्व से भी मुक्त किया जाता है।

मेरे द्वारा उद्घोषित लेखापित एवं शुद्धित

सत्यनारायण शिवहरे
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई।
दिनांक– 13.03.2026

सत्यनारायण शिवहरे
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक–13.03.2026